International Journal in Management and Social Science
Volume 13 Issue 7,July 2025 ISSN: 2321-1784 Impact Factor: 8.088
Journal Homepage: http://ijmr.net.in, Email:irjmss@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal

राज्य सरकार में मुख्य सचिवः दायित्व एवं भूमिका

(राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में)

डॉ. विक्रान्त कुमार षर्मा
सहायक आचार्य (लोक प्रषासन)
सामाजिक विज्ञान विभाग
कोटा विष्वविद्यालय,कोटा।
ई–मेलः vikrantsharma2033@gmail.com

संक्षेपणः प्रस्तुत शोध पत्र में राज्य प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च पद, मुख्य सचिव का विवेचन किया गया है। उक्त पत्र में मुख्य सचिव के पद के **ऐतिहासिक परिपेक्ष्य, स्वतंत्रता के उपरांत प्रस्थिति, भूमिका एवं दायित्वों** को रेखांकित किया है। तदोपरांत मुख्य सचिव की नियुक्ति व सेवावधि का विश्लेषण है। पत्र में मुख्य रूप से मुख्य सचिव के कर्तव्यों एवं भूमिका का बहुआयामी दृष्टिकोण से विवेचन किया है। यही इस लेख का केंद्रीय विषय है। साथ ही मुख्य सचिव की भूमिका व प्रस्थिति पर मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रभाव को स्पष्ट किया है। मुख्य सचिव पद की केंद्र सरकार के ''मंत्रिमंडल सचिव'' के पद से तुलना भी की गई है। पद के प्रामाणिक विश्लेषण हेतु राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत के कृतित्व का विश्लेषण है।

सामान्यत भारत में राज्य प्रशासन का ढांचा केंद्रीय प्रशासन का प्रतिरूप है। मुख्य सचिव के पद का सर्जन भी ब्रिटिश कालीन शासक के दौरान लॉर्ड वेलेजली ने केंद्रीय प्रशासन के दायित्वों के निर्वहन हेतु 1798 ई. में किया था। हालांकि वर्तमान में यह पद केंद्र सरकार में नहीं है। मुख्य सचिव का पद राज्य प्रशासन का सर्वोच्च सशक्त एवं गौरवमय पद है। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जी.एस.बार्ले की 1798 में हुई थी। केंद्र सरकार में इसके पूर्णतः समकक्ष कोई पद नहीं है। वस्तुतः ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के बाद भारतीय शासन 1858 में सीधे ब्रिटिश संसद के अधीन हो गया। ब्रिटिश शासित भारत में बंगाल मुंबई एवं मद्रास प्रेसीडेंसी में गवर्नर को प्रारंभ में सीमित अधिकार

दिए गए। धीरे–धीरे विभिन्न अधिनियमों द्वारा गवर्नर के अधिकारों में वृद्धि हुई। इसी काल में सभी प्रान्तों में मुख्य सचिव का पद सृजित हुआ तथा प्रांत स्तरीय प्रशासन में वह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता था।

राजस्थान की स्थिति – राजस्थान अनेक देसी रियासतों का समूह था। रियासतें पॉलिटिकल एजेण्ट के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता के सामान्य नियंत्रण में ही थीं। अर्थात् राजस्थान में मद्रास, उत्तर पश्चिम प्रांत आदि के समान प्रत्यक्ष शासन नहीं था। आंतरिक प्रशासन व्यवस्था रियासतों की परंपरागत व्यवस्था पर आधारित थी। 01 नवम्बर, 1956 से पूर्व राजस्थान ''बी'' श्रेणी का राज्य था। इसलिए मुख्य सचिव की नियुक्ति केन्द्र सरकार के द्वारा की जाती थी। राज्य में 9 मई, 1958 में प्रथम बार, राज्य सरकार द्वारा **राजस्थान संवर्ग के वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी श्री भगत सिंह मेहता की, मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति की गई थी।**

रियासती मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 24 सितम्बर, 1948 को श्री डी.आर.प्रधान को राजस्थान का परामर्षदाता नियुक्त किया था। जो मुख्य सचिव के रूप में भी कार्य करते थे। श्री के.आर राधाकृष्णनन् को 13 अप्रेल, 1948 को प्रथम मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। श्रीमती कुषाल सिंह को सन् 2009 में राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव बनने का गौरव मिला। श्रीमती उषा षर्मा भी मुख्य सचिव के रूप में रह चुकी है। इस प्रकार राजस्थान में अब तक दो महिला आई.ए.एस. को ही मुख्य सचिव बनने का अवसर मिला है। वर्तमान में श्री सुधांष पंत राजस्थान के मुख्य सचिव हैं।

मुख्य सचिव संदर्भित राज्य संवर्ग की अखिल भारतीय सेवा (आई.ए.एस.) का अति–वरिष्ठ लोक सेवक होता है। अपने सेवा काल में वह जिलाधीश सहित अनेक सेवाओं के पदों पर राज्य के अधिकांश जिलों में कार्य कर चुका होता है। साथ ही सचिवालय सहित स्वायत्तयषासी संस्थाओं, स्थानीय निकायों इत्यादि में भी सेवाएं दे चुका होता है। अर्थात् उसे प्रशासनिक अनुभव के अलावा राज्य की भौगोलिक राजनैतिक एवं सामाजिक अवस्थित का भी पूर्ण अनुभव एवं ज्ञान होता है।

मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का प्रषासकीय प्रधान होता है। वह राज्य प्रशासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है। वर्तमान में राज्य के प्रशासनिक पदसोपान में उसका सर्वोच्च स्थान है। मुख्य सचिव सभी सचिवों का पर्यवेक्षक व मार्गदर्शक हैं। सचिवालय के सभी विभाग उसके प्रशासनिक पर्यवेक्षण में आते हैं। राज्य की प्रशासनिक प्रणाली में उसकी भूमिका एवं दायित्व अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।

पंजाब के पूर्व मुख्य सचिव श्री मंगतराय ने मुख्य सचिव की भूमिका के संदर्भ में सटीक टिप्पणी की है – ''मुख्य सचिव का कार्य किसी तकनीषियन या किसी व्यावसायिक के कार्य की तरह नहीं है। न ही वह कुशल अभियंता है। वह प्रथम दर्जे का मजिस्ट्रेट तक नहीं है, **वह सरकारी प्रक्रिया का एक भाग तथा जनतांत्रिक गणतंत्र में मानवीय प्रक्रिया का एक अंग है''**।

प्रशासनिक सुधार आयोग–। (1966–70) ने सिफारिश की थी कि ''मुख्य सचिव'' का पद सभी राज्यों में सर्वोच्च लोक सेवक के रूप में हो, इसके पद को दर्जा एवं उपलब्धियों की दृष्टि से **''केंद्र सरकार के सचिव पद'' के समकक्ष होने चाहिए। सिफारिश के अनुसरण में वर्ष 1973 में मानकीकरण कर सभी राज्यों में मुख्य सचिव को सर्वोच्च लोक सेवक एवं ''केंद्र सरकार के सचिव पद'' के समकक्ष दर्जा मिल चुका है।**

नियुक्ति : मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का महत्वपूर्ण पद है। मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री करता है। हालांकि नियुक्ति से पूर्व वह केन्द्र सरकार से सलाह करता है। परंतु नियुक्ति में पर्दे के पीछे कई कारण निहित होते हैं–

- सर्वप्रथम मुख्यमंत्री को रुचिकर,योग्य एवं सहज लगे।
- सत्ताधारी दल के विरुद्ध अथवा किसी दल विशेष की छाप नहीं हो।

कई बार मुख्यमंत्री की विशेष रूचि नहीं हो तो सहयोगी मंत्रीगण, सत्ताधारी दल के पदाधिकारीयों की इच्छा भी कार्य करती है। प्रायः सत्ताधारी दल कार्यकाल के अंतिम समय में दलीय आस्था से ओत–प्रोत नौकरशाह की तलाश में रहता है। क्योंकि चुनाव–प्रक्रिया

सहित, सत्ता परिवर्तन होने पर पूर्व सरकार के कार्यों के संदर्भ में सकारात्मक रूख रखें। कभी–कभी मुख्य सचिव के पद पर नियुक्ति में केंद्र सरकार की विषेष रुचि रहती है। वर्तमान में राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव केंद्र सरकार के निर्देशन में ही बने हैं।

सेवा अवधि– मुख्य सचिव की सेवा अवधि मुख्यमंत्री से संबंधों पर निर्भर करती है। प्रायः सेवा काल के अंतिम दो–तीन वर्षों में अनुभवी भारतीय प्रषासनिक सेवा के अधिकारी को मुख्य सचिव बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वर्तमान के राजस्थान में विगत वर्षों से किसी मुख्य सचिव का लंबा कार्यकाल नहीं रहा है। सामान्यतः मुख्य सचिव 2 वर्ष की अवधि के लिए ही रहे हैं। हालांकि 6 माह से 1 वर्ष तक ''सेवा–विस्तार'' भी हुआ है।

परंतु पूर्व में राजस्थान के मुख्य सचिव लंबे कार्यकाल सहित कई–कई बार सेवा विस्तार प्राप्त कर चुके हैं। श्री विपिन बिहारी लाल माथुर ने चार मुख्यमंत्रीयों का सेवाकाल देखा था। **श्री भगवत सिंह मेहता का मुख्य सचिव के रूप में वर्तमान तक सर्वाधिक 8.5 वर्ष कार्यकाल रहा है।** उनके तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया से सामंजस्यपूर्ण संबंध थे। इसी प्रकार श्री भैरों सिंह शेखावत जी के समय श्री मीठालाल मेहता का कार्यकाल भी लम्बा रहा। उनका कई बार ''सेवा–विस्तार'' किया गया। **मुख्य सचिव का पद उत्कृष्ट, उच्चतम होने के साथ नीति निर्माण से भी जुड़ा हुआ है। अतः उसे निश्चित करना उचित नहीं है। उसको कार्यकाल में मुख्यमंत्री एवं सरकार की ''सुविधा एवं सामंजस्य'' पर ही निर्भर रहना चाहिए। हालांकि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाव दिया था कि मुख्य सचिव कम से कम 03 या 04 वर्ष अपने पद पर रहना चाहिए।**

भूमिका एवं कार्यः मुख्य सचिव की भूमिका राज्य प्रशासन में अति महत्वपूर्ण है। उसके औपचारिक कर्तव्यों का राज्य सरकार के ''कार्य विधि नियमों'' (बिजनेस रूल) में सम्मिलित किया गया है। इन नियमों में समय–समय पर संशोधन भी हुए हैं परंतु व्यवहार में उसके द्वारा निर्वहन कि जाने वाली भूमिका व्यापक हैं।

सामान्यतः मुख्य सचिव की भूमिका को दो भागों में बांटा जाता है–औपचारिक भूमिका एवं अनौपचारिक भूमिका

औपचारिक रूप से मुख्य सचिव तीन महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करता है–

मंत्रिमंडल सचिव के रूप में, राज्य प्रशासन के मुख्य समन्वयक व पर्यवेक्षक के रूप में, मुख्य सचिव राज्य मंत्रिमंडल का सचिव होता है। ''मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग'' मुख्य सचिव के सीधे नियंत्रण में आता है। जिसका राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। इस विभाग के प्रमुख कार्य मंत्रिमंडल को सहायता देना, ''नीति समन्वय'' केंद्र के रूप में कार्य करना। निर्णयों का क्रियान्वयन सहित आवश्यक सूचनाऐं प्रदान करना आदि। मुख्य सचिव मंत्रिमंडलीय बैठकों से संबंधित सभी कार्य सहित ''नीति निर्माण प्रक्रिया'' में योगदान प्रदान करता है।

मुख्य सचिव मंत्रिमंडल निर्णय का क्रियान्वयन तथा ''फॉलो अप'' करवाता है। जब मंत्रिमंडल कोई निर्णय लेता है, संबंधित विभाग के कार्यपालक अध्यक्ष का यह दायित्व होता है कि उसको क्रियान्वित करें। यहॉ मुख्य सचिव की पर्यवेक्षणीय भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। वह समय–समय पर विभिन्न योजनाओं, निर्णयों एवं प्रशासनिक निर्णय के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी प्राप्त करता है। उसे प्रतीत होता है कि किसी क्षेत्र में आषानुकूल प्रगति नहीं है तो उस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त करता है।

सामान्यतः राज्य का मुख्य सचिव ''सामान्य प्रशासन'', ''कार्मिक विभाग'', ''प्रशासनिक सुधार'' तथा ''योजना विभाग'' का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। यद्यपि इस संबंध में विभिन्न राज्यों में एकरूपता नहीं है। राज्य प्रशासन में महत्वपूर्ण एवं समन्वयकारी भूमिका निर्वहन करने वाले विभाग मुख्य सचिव के अधीन रखे जाते हैं।

राजस्थान को भी उपयुक्त विभाग प्रारंभ से ही मुख्य सचिव के अधीन रहे परंतु 1992 में ''योजना विभाग'' एवं ''कार्मिक विभाग'' के लिए अलग से सचिव का पद सृजित कर दिया गया। इसी प्रकार 1998 में सामान्य प्रशासन विभाग हेतु भी अलग से सचिव का

पद सृजित कर मुख्य सचिव के दायित्वों का बोझ कम किया गया। राजस्थान में ''प्रशासनिक सुधार सचिव'' भी अलग से है। हालांकि उपयुक्त विभागों के **अति महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाहन एवं पर्यवेक्षण मुख्य सचिव ही करता है।**

समन्वयक के रूप में भूमिका– एक समन्वयक में के रूप में मुख्य सचिव को विभिन्न स्तरों पर कार्य करना होता है, यथाः केंद्र–राज्य तथा अन्तर्राज्यीय स्तर पर समन्वय करता है। मुख्य सचिव केन्द्र एवं राज्य के बीच संवादसेतु का कार्य करता है। योजना, वित्त एवं कार्मिक प्रबंधन के क्षेत्र में केंन्द्र एवं राज्यों के मध्य निरंतर अंतःक्रिया होती है। अतः मुख्य सचिव की मंत्रिमंडल सचिव सहित केंद्रीय स्तर के साथियों से लगातार अंतःक्रिया होती रहती है।

वह औपचारिक एवं अनौपचारिक संबंधों द्वारा केंद्र से राज्य के लिए वित्तीय एवं अन्य सहायता प्राप्त करता है। इस संदर्भ में वर्तमान में राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव श्री सुधांषु पंत की भूमिका सराहनीय है।

मुख्य सचिवों का सम्मेलनः भारत के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों का सम्मेलन प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्र का मंत्रिमंडल सचिव करता है। इस सम्मेलन में राज्य प्रशासन से संबंधित सभी विषयों पर विचार–विमर्श किया जाता है। इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण प्रषासनिक नवोन्मेषों एवं प्रषासनिक सुधारों पर सामान्य सहमति प्राप्त होती है।

क्षेत्रीय परिषदें: वर्तमान में पांच क्षेत्रिय परिषदें हैं। जिनके अंतर्गत सभी राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्र आ जाते हैं। मुख्य सचिव अपने राज्य से संबंधित क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में भाग लेता है। **यही नहीं क्रमानुसार से वह उक्त क्षेत्रिय परिषद के ''सचिव'' के रूप में कार्य करता है।** क्षेत्रिय परिषदों की प्रमुख गतिविधियां अधोलिखित हैं–

- विकास परियोजनाओं के क्रियान्वन में राज्यों को सहयोग प्रदान करना।
- समान नीति–निर्माण में केंद्रीय एवं राज्यों को विचार विनिमय प्रदान करना।

- राज्य के परस्पर विवादों को दूर करने में सहायता प्रदान करना।

राज्य प्रशासन में समन्वय– मुख्य सचिव राज्य प्रशासन के समन्वय का कार्य प्रभावी तरीके से करता है। सचिवालय प्रशासन कई विभागों में विभाजित होता है। हर विभाग का प्रषासनिक प्रमुख एक सचिव होता है। मुख्य सचिव इन सभी सचिवों को नेतृत्व प्रदान करता है। सचिवों की समितियॉ भी समन्वय का महत्वपूर्ण उपकरण है।

मुख्य सचिव का भूमिका समूह–

- केन्द्र सरकार
- मुख्यमंत्री
- मंत्रीगण
- प्रषासनिक सचिव
- विभागाध्यक्ष
- लोक उद्यमों के अध्यक्ष
- पुलिस निदेषक/पुलिस महानिरीक्षक
- सम्भागीय आयुक्त
- जनता
- जिलाधीष
- पंचायती राज संस्थाऐं
- षहरी स्थानीय संस्थाऐं
- स्वैच्छिक समूह/संरचनॉऐ
- न्यायपालिका
- सांसद एवं विधायक

मुख्य सचिव को राज्य के विभिन्न वर्गों, संख्याओं, संगठनों एवं व्यक्तियों के साथ कार्य करना होता है। अतः उसकी सफलता इनके साथ संबंध एवं व्यवहार पर निर्भर करती है।

मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री को एक इकाई के रूप में कार्य करना आवश्यक है। आर.पी. नोरोन के अनुसार ''मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री के मस्तिष्क के भांति सोचना चाहिए, तदनुरूप कार्य करना चाहिए।'' इसी प्रकार राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने लिखा है–''श्री भगवत सिंह मेहता स्वतंत्र एवं निर्भीक राय देते थे उन्हें मानव भाव की स्पष्ट समझ थी।''

ई.एन. मंगतराय के अनुसार मुख्य सचिव की औपचारिक शक्तियों के अतिरिक्त उसकी प्रशासनिक स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि मुख्यमंत्री उसे कितनी छूट एवं कितने अधिकार देते हैं। कई बार विभागों के सचिव, मुख्य सचिव को दरकिनार करके मुख्यमंत्री से सीधे संपर्क का प्रयास करते हैं। यदि इस प्रवृत्ति को मुख्यमंत्री बढ़ावा देते हैं तो मुख्य सचिव की स्थिति दृढ़ नहीं रहती है। मुख्यमंत्री के राजनैतिक एवं प्रषासनिक अनुभव पर भी मुख्य सचिव की भूमिका निर्भर करती है।

मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के कार्यों को समयबद्ध एवं सीमाबद्ध करना कठिन है। पंजाब के पूर्व मुख्य सचिव श्री मंगतराय ने वर्णन किया है किः ''मुख्यमंत्री श्री प्रताप सिंह कैरों के फोन से सर्दी सुबह 6:00 बजे उनकी नींद खुलती थी। कई बार देर रात तक बातचीत होती थी। वह कई बार बिना पूर्व सूचना के फोन करते एवं तुरंत मिलने की इच्छा जाहिर करते ताकि महत्वपूर्ण मामले तत्काल निपटाए जा सकें।''

मुख्य सचिव के अन्य मंत्रियों के साथ संबंधी भी महत्वपूर्ण होते हैं। कई मंत्री, मुख्य सचिव एवं प्रशासनिक सचिवों से परामर्श लेकर निर्णय करते हैं। अतः मंत्रियों एवं मुख्य सचिव के बीच पारस्परिक अनौपचारिक संबंध होना आवश्यक है। कई बार मुख्यमंत्री से किसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा नहीं हो पाती है तो मंत्रीगण अपनी भावनॉऐ मुख्य सचिव को व्यक्त कर देते हैं। **सांसदों एवं विधायकों के साथ संबंध रखते समय मुख्य सचिव द्वारा**

संतुलित व्यवहार रखना चाहिए जो अत्यंत दूरी एवं नजदीकी का नहीं होना चाहिए।

एक विवेक पूर्ण मुख्य सचिव राज्य की राजनीति की बारीकियों को समझता है तथा सामान्यतः ऐसा आचरण करता है कि जिससे राज्य सरकार के राजनीतिक नेतृत्त्व को आवश्यक रूप से शिकायतों का सामना नहीं करना पड़े।

डॉ मीना सोगानी ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि ''अंततः मुख्य सचिव के अपनी राज्य की जनता के साथ संबंध कैसे हैं, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता को सुखी एवं संतुष्ट रखना आवश्यक है। राजस्थान के मुख्य सचिव जनता की शिकायतों को सुनकर उन पर आवश्यक कार्रवाई करना अपना कर्तव्य समझते रहे हैं इनमें से अधिकांश अपने मानविय व्यवहार तथा मानविय दृष्टिकोण के कारण जाने जाते रहे हैं।'' इन सारे दायित्व के निर्वहन करने में मुख्य सचिव का व्यक्तित्व, जीवन के प्रति दृष्टिकोण एवं प्रशासनिक क्षमता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वर्तमान में केंद्र के प्रधानमंत्री कार्यालय की तर्ज पर मुख्यमंत्री कार्यालय ;ब्ण्ब्द्ध की भूमिका महत्वपूर्ण निर्णय लेने में बढ़ रही है। यही नहीं संवेदनशील मुद्दों पर क्षेत्रीय लोक सेवकों को वहां से निर्देश मिलते हैं। यहां तक की राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के स्थानांतरण सहित सभी विभागों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ''मुख्य सचिव'' को दरकिनार कर ''मुख्यमंत्री सचिव'' विभागीय ''प्रमुख सचिव'' को सीधे निर्देश देते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री सचिव की प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में महत्वपूर्ण भूमिका है।

अर्थात मुख्यमंत्री को ''मुख्यमंत्री सचिव'' के रूप में एक विश्वसनीय सारथी मिल चुका है। जिससे मुख्य सचिव की केंद्रीय भूमिका का ह्रास हुआ है। **प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण दायित्वों का बंटवारा ठीक है परंतु उक्त संदर्भ में असमन्वय के दो ''विरोधाभासी'' केंद्र नहीं विकसित होने चाहिए। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के यही हित में हैं।**

मुख्य सचिव बना मंत्रिमंडल सचिवः केंद्र में राज्य के मुख्य सचिव के समक्ष कोई भी प्रशासनिक पद नहीं है। फिर भी ''मुख्य सचिव'' एवं ''मंत्रिमंडल सचिव'' के कार्य कमोवेश एक जैसे है। अतः इन दोनों पदों की तुलना अपेक्षित है–

मुख्य सचिव एवं मंत्रिमंडल सचिव में समानताऐं –

- दोनों अपने–अपने मुख्य कार्यपालिका के प्रमुख सलाहकार हैं। दोनों अपने–अपने प्रशासन के मुख्य समन्वयक हैं।
- दोनों अपने–अपने मंत्रिमंडल के सचिव हैं तथा मंत्रिमंडल द्वारा लिए निर्णय को क्रियान्वित करते हैं।
- दोनों अपनी अपनी लोक सेवाओं के प्रमुख हैं।
- दोनों पदों को ही अर्थात मंत्रिमंडल सचिव को ''प्रधानमंत्री कार्यालय'' एवं ''मुख्य सचिव'' को ''मुख्यमंत्री कार्यालय'' की बढ़ती भूमिका से ''प्रस्थिति'' एवं ''पहचान'' पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

मुख्य सचिव एवं मंत्रिमंडल सचिव में असमानताऐं – मुख्य सचिव के कार्य एवं शक्तियां कैबिनेट सचिव की तुलना में अधिक हैं। इसे निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है–

- मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है जबकि कैबिनेट सचिव केंद्रीय सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख नहीं होता है।
- मुख्य सचिव राज्य के सचिवों का प्रधान होता है जबकि मंत्रिमंडल सचिव केंद्र सरकार के सचिवों का प्रधान नहीं होता है बल्कि समकक्षों में प्रथम या सर्वोच्च अधिकारी होता है।
- मुख्य सचिव राज्य स्तर पर वह सब कार्य देखा है जो कार्य अन्य सचिवों के **अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं अर्थात् अवषिष्ट** पुलिस **सभी प्रशासनिक**

- **दायित्व मुख्य सचिव पर हैं जबकि केंद्र में यह कार्य प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव देखता है।**

राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत के व्यक्तित्व व कृतित्त्व का विवेचन समीचीन होगा–

राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत – वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत हैं। श्री पंत की नियुक्ति 31 दिसंबर, 2023 को डॉ. उषा शर्मा की सेवानिवृत्ति के उपरांत हुई है। इससे पूर्व वे केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में सेवारत थे। श्री पंत 1991 बैच के राजस्थान संवर्ग के आई. ए. एस. अधिकारी हैं। प्रशिक्षण के उपरांत 1983 में वे जयपुर में उपखंड अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए। वे जैसलमेर, झुंझुनू, भीलवाड़ा एवं जयपुर के कलेक्टर रहे हैं। वह जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) एवं कृषि विभाग में आयुक्त के पद पर रहे हैं। वन्य पर्यावरण विभाग में ''प्रिंसिपल सचिव'' भी रहे हैं। अतः उन्हें क्षेत्रीय एवं सचिवालय प्रशासन का व्यावहारिक अनुभव है।

श्री सुधांश पंत को 06 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को लांघकर मुख्य सचिव बनाया है। श्री पंत केंद्र सरकार की ''गुड बुक'' में रहे हैं। उन्हें वित्तीय प्रशासन के संचालन का बेहतर अनुभव है। केंद्र सरकार ने राजस्थान के मुख्य सचिव पद पर विश्वसनीय, कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार अधिकारी को चुना है। अतः व्यवहार में श्री पंत केंद्र सरकार की इच्छा से राजस्थान के मुख्य सचिव बने हैं।

श्री सुधांश पंत का चयन उपयुक्त रहा है। वे सक्रिय एवं प्रभावी तरीके से राज्य के लोक सेवकों का पर्यवेक्षण व समन्वय कर रहे हैं। कई बार सख्त कदम भी उठाते रहे हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक नेतृत्व अर्थात मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल के अच्छे सलाहकार हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल ने उनको निर्णय लेने में पर्याप्त स्वतंत्रता दे रखी है। जो राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सकारात्मक सिद्ध हो रही है।

संदर्भ एवं स्त्रोतः

1. कटारिया सुरेंद्रः राज्य प्रशासन, मलिक एंड कंपनी, जयपुर (2021)।

2. अरोड़ा रमेश, चतुर्वेदी गीताः भारत में राज्य प्रशासन, आर. बी.एस. ए. जयपुर (2017)।

3. माहेश्वरी एस. आर. : स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, मैकमिलन, नई दिल्ली (1979)।

4. प्रशासनिक सुधार आयोग (राज्य प्रशासन पर रिपोर्ट), भारत सरकार, नई दिल्ली (1968)।

5. राजस्थान सरकार ''कार्यविधि नियम'' मंत्रिमंडल सचिवालय, जयपुर।

6. लक्ष्मीकांत, एमः पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (5जी एडिशन) टाटा मेक्ग्राहिल, नई दिल्ली।

7. श्रीनिवासः ''गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस द एम.एल. मेहता लिगेसी'' (6जी एमएल मेहता ऑरेशन) एम.एल. मेहता फाउंडेशन, जयपुर (07 दिसंबर 2020)।

8. माहेश्वरी एस. आर.ः ओरिएंट लोमैंन,नई दिल्ली (2016)।

9. दैनिक समाचार पत्रः राजस्थान पत्रिका, राजस्थान संस्करण, जयपुर। दैनिक भास्कर, राजस्थान संस्करण, जयपुर।

10. ''विकिपीडिया, द फ्री एनसाइक्लोपीडिया''

11. फॉर्मर चीफ सेक्रेटीजः बेवपिबमण्तंरेंजींदण्हवअण्पद पोर्टल राजस्थान सरकार।